पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(गव्य विकास निदेशालय)

बिहार पटना

कार्यालय आदेश सं0 – 59

श्री अरबिन्द कुमार चौधरी, कार्यालय परिचारी, गव्य शोध कार्यालय, बिहार, पटना प्रतिनियुक्त सचिव कोषांग का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु गव्य शोध पदाधिकारी, बिहार, पटना द्वारा अनुशंसित आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें स्वयं के पत्नी की बीमारी के कारण विभागीय दायित्व को निभाने में असमर्थता का उल्लेख करते हुए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु अनुरोध किया गया है।

श्री अरबिन्द कुमार चौधरी के अनुरोध पर उनकी पत्नी की बीमारी के कारण विभागीय दायित्व को निभाने में असमर्थता संबंधी बिन्दु के आलोक में मामले की समीक्षा निदेशालय स्तर पर की गयी, समीक्षोपरांत बिहार सेवा संहिता के नियम–74 एवं वित्त विभागीय ज्ञापांक–6190 दिनांक 27.04.1979 के आलोक में श्री अरबिन्द कुमार चौधरी को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री अरबिन्द कुमार चौधरी को दिनांक 31.07.2025 के अपराह्न से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री अरबिन्द कुमार चौधरी के विरूद्ध यदि किसी प्रकार की सरकारी राशि अथवा बकाया राशि हो तो उसका समायोजन एकमुश्त पेंशन/अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि से की जायेगी।

ह0/–

(केदार नाथ सिंह)

निदेशक

ज्ञापांक – गव्य (न0–07)18/2012 1021 पटना, दिनांक – 17/07/2025

प्रतिलिपि – महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – गव्य शोध कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक–56 दिनांक 13.05.2025 के आलोक में नियमानुकूल कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – श्री अरबिन्द कुमार चौधरी, कार्यालय परिचारी, गव्य शोध कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – आई0 टी0 मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/–

17.07.25

निदेशक

E:\Pratima Kumari\Office Order.docx